# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

**प्रथम लिंक पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस**

225RTA2024-088(GCMS2024-143)

1. चंदू देवी पत्नी फौजाराम जाति सांसी
   निवासी सांसियों की ढाणी, गुजरावास
   जोधपुर
2. मोहनीदेवी पत्नी लिखमाराम
3. लालाराम पुत्र लिखमाराम
4. अजय पुत्र कानाराम उर्फ करनाराम
   जातियान गरुडा, निवासी गुजरावास
   जोधपुर

----- **अपीलाण्ट्स**

**ब**

**ना**

**म**

1. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई
   भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पता-188 उम्मेद
   हेरिटेज जोधपुर
2. श्रीराम सिंह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओ.एस.एस.
   कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी कार्यालय
   ग्राम थबुकडा, तहसील व जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक
कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
दिनांक 15 मई 2024 राजस्व प्रकरण संख्या ए-16/2024
चंदूदेवी व अन्य बनाम परियोजना निदेशक आदि

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
- श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1

# नि र्ण य

दिनांक : 31 जुलाई 2024

अपीलाण्ट्सने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या ए-16/2024 चंदूदेवी व अन्य बनाम परियोजना निदेशक आदि में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2024 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा एक राजस्व वाद ग्राम डांगियावास स्थित आराजी खसरा संख्या 79/1 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 79/1 रकबा 4 बीघा बाबत प्रस्तुत किया जाना जाहिर करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 मई 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्सद्वारा आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्सने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के अपीलाण्ट्स द्वारा विधिवत पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये कथशुदा भूमि है जिसका अपीलाण्ट्स रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात में से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 3 बीघा 09 बिस्वा भूमि अवाप्त की जाकर अपीलाण्ट्स के नाम से अवार्ड दिनांक 24 जून 2021 को जारी किया गया। मगर प्राधिकरण की ओर से दिनांक 27 व 29 मार्च 2024 को अपीलाण्ट्स की 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर कार्य करना आरम्भ कर दिया गया, जबकि अवाप्तशुदा 3 बीघा 09 बिस्वा भूमि से अधिक भूमि पर प्राधिकरण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट्स द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद भी मौके पर प्राधिकरण की ओर से युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है, इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जरिये अपीलाधीन आदेश खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवेचन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि प्राधिकरण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर ही परियोजनानुसार कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक हितार्थ किये जा रहे विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं समझा। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना अथवा जारी नहीं किया जाना न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकार होता है। जिसमें अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 79 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 79/1 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम डांगियावास में से नेशनल हाइवे हेतु 3 बीघा 09 बिस्वा (0.5574 हैक्टेयर) भूमि अवाप्त किया जाना एवं वादीगण के पक्ष में दिनांक 24 जून 2021 को अवार्ड जारी किया जाना स्वीकृत तथ्य है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि के अलावा बाकी बची भूमि (जो अपीलाण्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है) बाबत अपीलाण्ट्स द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट्स के पक्ष में नजर आता है। अवाप्तशुदा भूमि के अलावा बकाया रही भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग-उपभोग करने से यदि अपीलाण्ट्स को वंचित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वर्तमान तक निस्तारण नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 मई 2024 खारिज किया जाता है और प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का आगामी 30 दिवस में विधिवत निस्तारण किया जावे। उभयपक्षकारान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08 अगस्त 2024 को उपस्थित रहे। तब तक अपीलाण्ट्स के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आराजी खसरा संख्या 79 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 79/1 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम डांगियावास में से नेशनल हाइवे हेतु अवाप्तशुदा 3 बीघा 09 बिस्वा (0.5574 हैक्टेयर) भूमि के अलावा बाकी बची भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर